संख्या- 40 /2022/ 208 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 21 फरवरी, 2022**

विषय- आजादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अन्तर्गत काकोरी बलिदान दिवस दिनांक 19 दिसम्बर, 2021 को जनपद लखनऊ में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4309/सं0नि0-15(46)/2021-22, दिनांक 14 फरवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आजादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अन्तर्गत काकोरी बलिदान दिवस दिनांक 19 दिसम्बर, 2021 को काकोरी के बाजनगर स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में हुए वास्तविक व्यय धनराशि रू0 7,39,076/- की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रू0 7,39,076/- (रूपये सात लाख उन्तालिस हजार छियत्तर मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त धनराशि रू0 7,39,076/- (रूपये सात लाख उन्तालिस हजार छियत्तर मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या 40 /2022/208 /(1)/चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in